

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 1970/आश्विन 1, 1892

No. 351] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 1970/ASVINA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd September 1970

S.O. 3174/18A/IDRA/70.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-clause (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notified order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967, namely:—

In the said Order—

for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“2. The Board of Management shall consist of the following, namely:—

Chairman

1. Shri Prem Kumar, Special Secretary, Department of Industries, Uttar Pradesh Government, Lucknow.

Members

2. Shri R. K. Kaul, Collector, Meerut.
3. Shri Lakshmi Kant Nagar, Cane Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow.
4. Shri Mangal Bihari, Chief Director, Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), New Delhi.
5. Shri N. S. Jain, Additional Chief Director, Directorate of Sugar and Vanaspati, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), New Delhi."

[No. F.9(1)Lic.Pol./67.]

R. V. SUBRAHMANYAN, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय**(औद्योगिक विकास विभाग)****आदेश**

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1970

एस० ओ० 3174/18ए/आई० डी० आर० ए०/70.—उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की-उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 3091/18-ए/आई० डी० आर० ए०/67, तारीख 2 सितम्बर, 1967 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में :—

पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2. प्रबन्ध बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. श्री प्रेम कुमार, विशेष सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सदस्य

2. श्री आर० के० कोल, कलक्टर, मेरठ ।
3. श्री लक्ष्मी कान्त नागर, ई० आ० आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4. श्री मंगल बिहारी, मुख्य निदेशक, चीनी और वनस्पति निदेशालय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली ।
5. श्री एन० एस० जैन, अपर मुख्य निदेशक, चीनी और वनस्पति निदेशालय, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, (खाद्य विभाग), नई दिल्ली ।”

[स० एफ० ९(१)लाई० पालिसी/६७.]

आर० बी० मुब्रह्मण्यन्, संयुक्त सचिव ।

